दिनांक 23 मई 2023 स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

नियमों के विपरीत निर्माण तथा अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण के लिए शीघ्र करे आवेदन , नियमितीकरण आवेदन करने के लिए आसान है प्रक्रिया देखें पूरी जानकारी

भिलाई नगर/ नियमों के विपरीत निर्माण करने वाले लोगों के लिए नियमितीकरण कराने का सुनहरा अवसर उन्हें मिल रहा है, इसलिए आवेदन करने में विलंब न करें शीघ्र ही नियमितीकरण के लिए आवेदन कर नियमितीकरण करा लें, क्योंकि निर्धारित तिथि के अनुसार नियमितीकरण कराने के लिए कुछ ही समय शेष है। निगम में आवेदन करने वाले ज्यादातर लोगों का नियमितीकरण हो चुका है। भवन अनुज्ञा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अब तक आवासीय व गैर आवासीय मिलाकर जिन्होंने नियमितीकरण के लिए अपना आवेदन निगम में जमा कर दिया है, उनमें से अधिकतर लोगों के नियमितीकरण हो चुके हैं, क्योंकि इसकी प्रक्रिया को भिलाई निगम द्वारा शीघ्रता से अपनाया जा रहा है।

इन अनाधिकृत विकास का करा सकते है नियमितीकरण यदि किसी ने बिना बिल्डिंग परमिशन लिए निर्माण किया हो, बिल्डिंग परमिशन प्राप्त करके स्वरूप में परिवर्तन किया हो या फिर प्रदाय किए गए भवन अनुज्ञा के विपरीत निर्माण कर लिया हो तो इसका नियमितीकरण कराया जा सकता है। इसके लिए भिलाई निगम में वास्तुविद के माध्यम से आवेदन करना होगा। महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास ने योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। आर्किटेक्ट की सूची समस्त जोन कार्यालय एवं मुख्य कार्यालय में भी चस्पा की गई है तथा भिलाई निगम के वेबसाइट से भी आर्किटेक्ट की सूची प्राप्त की जा सकती है। भूखंड क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर तक के अनाधिकृत आवासीय निर्माण का नियमितीकरण में शास्ती से छूट मिल रही है।

कैसे करे नियमितीकरण के लिए आवेदन आवेदन, मानचित्र निगम के पंजीकृत वास्तुविद/इंजीनियर से तैयार कराकर आवेदन करना होगा। आवेदन निर्धारित प्रारूप में चेक लिस्ट के अनुसार नगर पालिक निगम भिलाई के वेबसाइट www.bhilainagarnigam.com से डाउनलोड किया जा सकता है। आर्किटेक्ट की सूची भी इस वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। अनाधिकृत निर्माण दिनांक 14 जुलाई 2022 के पूर्व से निर्मित है इस संबंध में साक्ष्य के रूप में भवन का बिजली बिल, प्रॉपर्टी टैक्स जिसमें तारीख अंकित हो जमा करना आवश्यक है, अन्य दस्तावेज आवेदन के प्रारूप एक में चेक लिस्ट के अनुसार संलग्न करके आवेदन करना होगा।